तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुआ।
10.09.2020	वकुलाय उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 9 सिपीसी सूई गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 9 सिपीसी का पेश किया की प्रति अधिवक्ता प्राथी को दिलाई गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने जबाब प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 9 सिपीसी पेश नही करना व्यक्त किया। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 9 सिपीसी का पेश कर निवेदन किया कि अधिवक्ता अपार्थीगण द्वारा अपने जबाब प्रार्थना पत्र मे नये तथ्यों को उल्लेखित किया है जो तथ्य सरासर गलत एव झूंठ है जिस तथ्यो का जबाब प्रार्थी अपने जबाबुल जबाब के जरिये देना चाहता है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जबाबुल जबाब को रेकर्ड पर लिये जाने की ईश्तदुआ की है। जबाब बहस के दौरान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 9 सिपीसी को स्वीकार कर जाबाबुल जबाब को रेकर्ड पर लिये जाने में कोई आपति नही होना व्यक्त किया है। अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 9 को स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जावाबबुल जवाब रेकर्ड पर लिया जाता है। जवाबुल जवाब की प्रति अधिवक्ता अप्रार्थी को दिलाई गई। बहस वकुलाय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई एवं समायत की गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व विविध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के इस आश्य का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम सोजत चक द्वितीय के खसरा नम्बर 1737 से 1773 कुल किता 37 कुल रकबा 9.7200 हैक्टर आई हुई स्थित है। वादस्थ आराजीयात कृषि भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 3 एवं अन्य सह खातेदारान की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की आई हुई स्थित है। उक्त भूमि का बंटवाडा खातेदारानों के मध्य किया हुआ नही है। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 उक्त भूमि का विधिक बंटवाडा करवाये बिना रास्ते की तरफ की भूमि पर नाजायज तरीके से फैक्ट्री एवं आवासीय मकान का निर्माण बिना संपरिवर्तन करवाये कर रहा है। खातेदारों मे मध्य विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस नही होने से आपसी विवाद हिस्सा कस्सी व माठो को लेकर होता रहता है। उक्त निर्माण को रोकने हेतु तहसीलदार सोजत व सम्पर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई तत्पश्चात भी निर्माण कार्य बन्द नही किया गया। अप्रार्थीगण को बंटवाडा पश्चात निर्माण करने को कहा गया किन्तु उनके द्वारा रास्ते की भूमि हडप करने तथा पीछे खेतो में आवागमन का रास्ता नही देने की नियत से दिनांक 25.12.2016 को निर्माण शुरू कर दिया। बिना संपरिवर्तन कराये व बिना बंटवाडा करवाये फैक्ट्री के निर्माण से पिछे के खेतो का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए अवरूद्ध हो रहा है। जिससे प्रार्थीगण को भारी कठिनाईयों का सामना करना पडा रहा है। अप्रार्थीगण यदि उक्त नाजायज कृत्य करने में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थी को अपूर्णिय क्षति होगी। इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये मूल वाद के	

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

निस्तारण तक अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को वादस्थ आराजीयात में निर्माण, बेचान, बक्सीस, रहन, वसीयत, करने से रोके जाने की ईश्तदुआ की है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की और से जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने हैरान पेरशान करने की नियत से झूठा दावा प्रस्तुत किया है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण तथा अन्य सह खातेदारान की सम्पूर्ण कृषि भूमि को वादस्थ कृषि भूमि बताया जो अपने आप में विरोधाभासी है। प्रार्थी ने किसी प्रकार से बंटवाडा का प्रार्थना पत्र पेश नही किया है जबकि प्रार्थना पत्र में बंटवाडा का जिक किया है। इसलिए प्रार्थी ने क्लीन हैण्ड से कोर्ट में नही आने से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थी ने जान बुझकर बंटवाडा के तथ्यों को छुपाया है। प्रार्थी एवं अप्राथी के मध्य पूर्वजो के समय मोके पर बंटवाडा हो चुका है ओर 40 वर्षो से मौखिक बंटवाडा के अनुसार काबिज है। प्रार्थी की अलग से मेहन्दी की फसल है तथा माठे व तारबन्दी है। अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से रास्ता को अवरूद्ध नही किया है। प्रार्थी ने किस प्रकार रास्ते को अवरूद्ध किया है इनका नजरी नक्शा पेश नही किया है। प्रार्थी आज भी अपनी भूमि में स्वतंत्र रूप से आवागमन करता है तथा अपनी मेहन्दी की फसल प्राप्त करता है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला नही है, प्रार्थी को किसी प्रकार से अपूर्णीयक्षति भी नही हुई है इस प्रकार तीनो बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नही हो रहे हे। प्रार्थी द्वारा बंटवाडा का दावा जानबुजकर पेश नही किया है इस कारण बंटवाडा के दावा के अभाव में प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की फैक्ट्री नही बनाई है कृषि औजार रखने हेतु गृह बनाया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किए जाने की ईश्तदुआ की है।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा जवाबुल जवाब पेश करने हेतु आदेश 08 नियम 9 सीपीसी का पेश किया जो स्वीकार किए जाने से जवाबुल जवाब रेकर्ड पर लिया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाबुल जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी द्वारा 40 वर्षो से मौखिक बंटवाडा होना बताया हे वह गलत है तथा मौके की स्थिति बताई वह भी गलत है। अप्रार्थी ने स्वीकार किया है कि बिना विधिक बंटवाडा करवाये संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि में नाजायज तरीके से निर्माण कार्य करना स्वीकार किया है। इस प्रकार जवाबबुल जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र में चाही गई ईस्तदुआ प्रदान करने की ईस्तदुआ की है।

बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया है कि अप्रार्थी संख्या 01 से 03 द्वारा बिना विधिक बंटवाडा/बिना संपरिवर्तन कराये संयुक्त खातेदारी की भूमि पर निर्माण करना प्रारम्भ कर दिया था जिससे दिनांक 02.01.2017 को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेघाज्ञा रोका गया था जिसे वाद निर्णय तक पुख्ता किया जावे। जबाब बहस के दौरान अधिवक्ता अप्रार्थी 1से 3 ने निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा किसी भी प्रकार से प्रार्थी का रास्ता नही रोका है प्रार्थी आज भी अपनी मेहन्दी की फसल लेने हेतु व अपनी भूमि में आवागमन स्वतंत्र रूप से कर रहा है। केवल कृषि औजार रखने व फसल रखने हेतु गृह का निर्माण करवाया जा रहा था । प्रार्थी व अप्रार्थी मौखिक बंटवाडे के अनुसा आज भी कायम है प्रार्थी द्वारा विधि अनुरूप बंटवाडा का दावा नही लाकर हैरान व परेशान करने की नियत से मात्र 188 आर0टी0एक्ट के तहत दावा प्रस्तुत किया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खाजिर किए जाने की ईश्तदुआ की है।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

२०१५/०१/०१/लिखवाया RM 01/2017

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, दस्तावेजात, जबाब प्रार्थना पत्र , जवाबुल जवाब प्रार्थना पत्र का गहनता से अध्ययन कर, बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः हस्ब प्रार्थना में वादस्थ कृषि भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त कब्जे काश्त की है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मूल वाद अन्तर्गत धारा 188 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा मात्र 188 92 ए आर0टी0एक्ट के साथ बिना विधिक बंटवाडा करवाये, उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये अप्रार्थीगण मौके पर निर्माण करने व बैचान इत्यादी करने व स्वयं की भूमि में दखल अन्दाजी नही करने से रोके जाने का निवेदन किया है। जबकि अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई नजरी नक्शा व दस्तावेजात पेश नही किया है जिसमें यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीगण द्वारा पूर्व से चले आ रहे रास्ते को रोक दिया गया है एवं उसके हक अधिकार में दखल अन्दाजी कर रहा है। प्रार्थी अपनी भूमि में निर्बाध रूप से आवागमन कर रहा है तथा अपनी मेहन्दी की फसल प्राप्त कर रहा है जिससे प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नही होकर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के पक्ष में सिद्ध होता है। सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति तीनो बिन्दु अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होने तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र क्लीन हैण्ड से प्रस्तुत नही करने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से खारिज किया जाना न्यायोचित समझते है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का सारहीन/तथ्यहीन व पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद पालना मूल वाद के साथ नत्थी है।

(दौलतराम चौधरी)
उप खण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज

निर्णय आज दिनांक 10-09-20 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दौलतराम चौधरी)
उप खण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज